

### परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-२ के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-१

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

**परियोजना विवरण :-** जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/

परियोजना/रकीम का संक्षिप्त विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के बनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

रु० 37.80 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने  
का औचित्य।

एक मात्र नजदीकी समरेखन।

ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक  
कर पायेगी।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार

विवरण:- संलग्न है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का

विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के

परिवारों की संख्या

नहीं।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने

के लिए)

नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?

(हाँ/ नहीं)

हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।
- प्रमाण पत्र संलग्न है।  
संलग्नानुसार।

दिनांक १३-११-१५

स्थान...पिथौरागढ़ ।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 पिथौरागढ़ ।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़ ।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

## भाग—।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान:- जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र   | — उत्तराखण्ड।                |
| ii) जिला   | — पिथौरागढ़।                 |
| iii) वन प्रभाग   | — पिथौरागढ़।                 |
| iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)   | — —                          |
| v) वन की कानूनी स्थिति   | — 1.71 हेक्टेयर में वन भूमि। |
| vi) हरियाली का घनत्व   | —                            |
| vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाइ/जलीय परियोजनाओं के सावधान में एफ0आर0एल0— 8 मी0 पर परिणामन भी संलग्न किए जाए   | — संलग्न है।                 |
| viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।  | — नहीं।                      |
| ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी   | — किमी0।                     |
| x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारोड़ों आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)                        | — नहीं।                      |
| xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटपन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।   | — नहीं।                      |
| xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | — नहीं।                      |
| 8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                         | — अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।  |

- 9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। — नहीं।
- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:—
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। — संलग्न है।
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — संलग्न है।
  - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कायान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। — तदैव।
- Iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — संलग्न है।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — तदैव।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल  
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- जिला का वन क्षेत्र।
  - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
  - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

7169.00 करोड़

२५२५०.५६ ए

—7169.00 कर्मा किमी।

913.024

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित  
वन भूमि  
(ख) वनेत्तर भूमि पर  
.....16/204 तक प्रतिपूरक वनीकरण  
में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर  
(ख) वनेत्तर भूमि पर


— है0	1112-05
— है0	495-0
— है0	2164-08
— है0	495-0 8

13- उप कांस्ट्रक्शन की विवादीय -

व्यास्तुति बोहिनि आपसामान्य  
प्रतिवक्तव्य विभाग इकाइ मालिका  
संसदवाच व्यवायाम समवाय क्षेत्री  
लोकांशुद्धि शाता का अनुपाय  
भाषा दायाम्।

बोहिनि  


हसताक्षर—  
नाम—  
सरकारी मोहर—

  
इमारीव वन अधिकारी  
विषेषज्ञ वन अधिकारी

दिनांक २५-११-२०१५  
स्थान सिपाहार

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— रथल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है  
वया इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण  
किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की  
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट  
के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी  
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से  
सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में  
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों  
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि.....

स्थान.....

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्विचित सिफारिशें।  
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक  
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुरक्षित समीक्षा की जाय  
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :-

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

#### प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17— राज्य सरकार की सिफारिशः  
(उपर्युक्त भाग— || या भाग— ||| या  
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 44 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 44 वृक्षों का पातन किया जाना है।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

अधिकारी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

ए०/—  
राजनीतिकारी  
पिथौरागढ़

ए०/—

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये ५०।३३।५० आंकित किया जाता है।

 सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।	 अधिशास्ती अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,	 राजि अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी  प्रभावति	रु०/- ८० /-
---	---	---	----------------

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में जजूराली तक शहीद किशन सिंह के गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त  
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर ~~एक~~ वृक्ष प्रभावित हो  
रहे हैं।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,  
 पिथौरागढ़।

  
अधिशास्री अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी

  
प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ एवं बालाङ